

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

फोन- 0651-2400981, फ़ैक्स- 0651-2400982, ई-मेल-govjharkhandtourism@gmail.com, वेबसाईट : www.tourism.jharkhand.gov.in

सेवा में,

निदेशक,

पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक ...22.../...06.../2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-3452-पर्यटन के अन्तर्गत कंसलटेंसी अन्य सेवाएँ हेतु कुल ₹ 10,00,00,000.00 (दस करोड़ रू०) मात्र के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 12, दिनांक 04.05.2026 एवं निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड का पत्रांक 461, दिनांक 17.06.2026

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश एवं पत्र के आलोक में कंसलटेंसी अन्य सेवाएँ हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्न बजट शीर्षवार आवंटन दी जा रही है -

क्र०	बजट शीर्ष	विपत्र कोड	आवंटित राशि
I	मुख्य शीर्ष-3452-पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष -104- संवर्धन तथा प्रचार, उपशीर्ष -13- कंसलटेंसी अन्य सेवाएँ, विस्तृत शीर्ष -03- प्रशासनिक व्यय, 31 परामर्शी शुल्क	46-S-3452-80-104-13-00-03-31	₹ 5,00,00,000.00
II	मुख्य शीर्ष-3452-पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष -13- कंसलटेंसी अन्य सेवाएँ, विस्तृत शीर्ष -03- प्रशासनिक व्यय, 31 परामर्शी शुल्क	46-S-3452-80-796-13-00-03-31	₹ 5,00,00,000.00
कुल-			₹ 10,00,00,000.00

2. आवंटित राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।

3. इस राशि का उपयोग बाह्य स्रोत से मानव बल/सुरक्षा कर्मी/कंसलटेंसी/पी०एम०यू० आदि पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

4. ये सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस आवंटन से राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

5. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अंकेक्षण हेतु अभिलेख सुरक्षित रखेंगे।

6. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विषयांकित योजना का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड को प्रेषित करते हुए इसकी एक प्रति विभाग को अनिवार्य रूप से ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगे।

7. इस राशि से किये गये कार्य के विरुद्ध नियमानुसार व्यय किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम राशि का व्यय नहीं किया जायेगा एवं अग्रिम निकासी नहीं की जायेगी।

8. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग से समय-समय पर निर्गत सुसंगत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

9. राशि का व्यय नहीं होने की स्थिति में राशि के प्रत्यार्पण की सूचना 25 मार्च, 2027 तक विभागीय बजट शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(मुकेश कुमार)  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : पर्य०/स्था० - 47/2008 - .....12...../राँची, दिनांक.....22.06.2026...../

प्रतिलिपि - महालेखाकर (ले० एवं हक०), झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सचिव, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Tourism Division)

चाहू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - PAR/EST-47/2008/12

दिनांक - 22-Jun-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 46 34528010413000331 3452 - पर्यटन 80 - सामान्य 104 - संवर्धन तथा प्रचार 13 - कंसल्टेन्सी अन्य सेवाएँ 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme	34501	DRNTSM001 GAUTAM MISHRA SECTION OFFICER TOURISM DIRECT 31 - परामर्शी शल्क	50,000,000.00 रुपये पाँच करोड
State Scheme : CONSULTANCY, SECURITY AND OTHER SERVICES(0417) Central Scheme : NA				
2	S 46 34528079613000331 3452 - पर्यटन 80 - सामान्य 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 13 - कंसल्टेन्सी अन्य सेवाएँ 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme	34499	DRNTSM001 GAUTAM MISHRA SECTION OFFICER TOURISM DIRECT 31 - परामर्शी शल्क	50,000,000.00 रुपये पाँच करोड
State Scheme : CONSULTANCY, SECURITY AND OTHER SERVICES(0417) Central Scheme : NA				
योग:	रुपये दस करोड			100,000,000.00
क्रमिक योग:			(MUKESH KUMAR) SECRETARY	